कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य / मा–स / 22200 / वो.2/2023 दिनांक : .08.2023

समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक / प्रारम्भिक।
समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा।
समस्त पीईईओ / यूसीईईओं।
समस्त संस्था–प्रधान।

विषय :– राजस्थान के समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयो में एक साथ तथा एक समय पर दिनांक : 15 अगस्त, 2023 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के मध्य **"संविधान की उद्देशिका एवं मौलिक कर्त्तव्यों"** का वाचन।

प्रसंग :– शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, जयपुर का पत्र क्रमांक : प.34(2)शिक्षा–1 / 2023 / जयपुर, दिनांक : 13.07.2023

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य के विद्यार्थियों में संविधान के प्रति श्रद्धा एवं कर्त्तव्यों के प्रति विज्ञता हेतु दिनांक : 15 अगस्त, 2023 को प्रातः 08:15 से प्रातः 8.30 बजे के मध्य एक ही समय में एक साथ **"संविधान की उद्देशिका एवं मौलिक कर्त्तव्यों"** का वाचन करवाया जाएगा। उक्त वाचन करने से पूर्व संस्था–प्रधान / विशेषज्ञ शिक्षक संक्षिप्त में **"संविधान की उद्देशिका एवं मौलिक कर्त्तव्यों"** के लिए 05 मिनट का परिच्यात्मक उद्बोधन देंगे। उक्त कार्यक्रम बाबत् निम्नांकित निर्देश जारी किए जाते हैं :–

1. कार्यक्रम की पूर्व तैयारी :–

उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत राज्य की समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालय स्तर पर एक ही समय में एक साथ **"संविधान की उद्देशिका एवं मौलिक कर्त्तव्यों"** का वाचन करवाया जाएगा। जिसके लिए कार्यक्रम की पूर्व तैयारी हेतु विद्यालय स्तर पर अभ्यास करवाया जाने के संबंध में निम्नांकित निर्देश प्रदान किये जाते हैं :–

- विद्यालय स्तर पर होने वाले कार्यक्रम हेतु पूर्वाभ्यास करवाने के लिए संस्था–प्रधान द्वारा विज्ञ शिक्षक को नोडल नियुक्त करने हुए समिति का गठन किया जाए।
- प्रत्येक राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में उक्त कार्यक्रम का समस्त विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन आखिरी कालांश में नियमित रूप से अभ्यास करवाया जाएगा।
- संविधान की उक्त उद्देशिका एवं मूल कर्त्तव्यों का वाचन इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक : 14.07.2023 (प्रति संलग्न) के अनुसार प्रत्येक शनिवार (नो बेग डे) पर भी निरन्तर करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।
- समग्र शिक्षा अभियान द्वारा इस संबंध में उपलब्ध करवाए गये फ्लैक्स को भी निर्धारित स्थान पर सुनिश्चित किया जाए।

2. कार्यक्रम को विश्व रिकार्ड में सम्मिलित किए जाने बाबत् कार्यवाही:–

- शाला दर्पण पोर्टल पर उक्त कार्यक्रम के संबंध में भाग लेने वाले कार्मिकों एवं विद्यार्थियों की संख्यात्मक सूचना एवं फोटो / वीडियो अपलोड करने हेतु मॉडयुल तैयार करवाया जाएगा। शालादर्पण प्रकोष्ठ, जयपुर व बीकानेर के शिक्षाधिकारी एन.आई.सी. से सम्पर्क कर मॉडयूल तैयार करवाएंगे।
- उक्त मॉड्यूल को इस प्रकार तैयार करवाया जाए, जिससे तत्काल ही भाग लेने वालों की संख्या का आंकलन हो सके ।
- उक्त मॉड्यूल में प्रविष्टि करने बाबत् कार्य संस्था–प्रधान द्वारा नामित विज्ञ शिक्षक से किया जाएगा।

Signature valid
Digitally signed by Kana Ram
Designation : Director
Date: 2023.08.10 12:27:09 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4487354

- उक्त कार्यक्रम के संबंध में 5–5 फोटो व वीडियों (जो 02 मिनट से ज्यादा न हों) अग्रांकित ई–मेल massecondary@gmail.com पर आयोजन के पश्चात तत्काल उपलब्ध करवाएंगे।
- समस्त CBEO & CDEO अपने जिले के समस्त विद्यालयों के दो–दो फोटोग्राफ अपने ई–मेल पर सुरक्षित रखेंगे।

3. कार्यक्रम का स्वरूपः–

"संविधान की उद्देशिका एवं मौलिक कर्त्तव्यों" का वाचन विद्यालय स्तर पर निम्नांकित निर्धारित क्रम में ही करवाया जाएगा :–

- **"संविधान एवं मौलिक कर्त्तव्यों"** का परिचयात्मक उद्बोधन।
- **"संविधान की उद्देशिका"** का वाचन।
- **"मौलिक कर्त्तव्यों"** का वाचन।

4. कार्यक्रम हेतु नोडल व संचालन समिति :–

उक्त कार्यक्रम का संचालन विद्यालय स्तर पर किये जाने के फलस्वरूप समस्त संस्था प्रधानों का विशेष एवं सम्पूर्ण दायित्व है कि वे **"संविधान की उद्देशिका एवं मौलिक कर्त्तव्यों"** के वाचन एवं इसके पूर्वाभ्यास हेतु अनिवार्य रूप से नोडल शिक्षक सहित समिति का गठन कर समिति सदस्यों का दायित्व निर्धारित करते हुए उक्त कार्यक्रम द्वारा विश्व रिकार्ड बनाने में अपनी सफल साझेदारी निभायें।

उल्लिखितानुसार समस्त संस्था–प्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि वे **"संविधान की उद्देशिका एवं मौलिक कर्त्तव्यों"** के वाचन संबंधी जारी किये गये निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करवाये।

संलग्न :–यथोक्त।

(काना राम)
आइ.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग, जयपुर।
3. उपनिदेशक, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, जयपुर को उक्तानुसार कार्यवाही हेतु।
4. सहायक निदेशक, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, बीकानेर।
5. रक्षित पत्रावली।

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

Signature valid
Digitally signed by Kana Ram
Designation : Director
Date: 2023.08.10 12:27:09 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4487354

राजस्थान सरकार

कार्यालय शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग

क्रमांकः प.34(2)शिक्षा–1 / 2023 /   जयपुर, दिनांकः 13.07.2023

:: आदेश ::

विषयः मंत्रिमण्डल की आज्ञा संख्या 100 / 2023 की पालना सभी राजकीय विद्यालयों में करवाने बाबत्।

"मंत्रिमण्डल की आज्ञा 100 / 2023 दिनांक 30 जून, 2023 को आयोजित मंत्रिपरिषद् / मंत्रिमण्डल की बैठक में माननीय मंख्यमंत्री महोदय की अनुमति से अनौपचारिक रूप से विचार–विमर्श कर भारत के संविधान के महत्व को बच्चों और युवाओं तक प्रचारित करने हेतु राजस्थान के सभी राजकीय विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में भारत के संविधान में अंकित **"उद्देशिका (Preamble)"** एवं **"मौलिक कर्त्तव्य (Fundamental Duties)"** को परिसर में लिखवाया जाना तथा प्रत्येक शनिवार इस पर चर्चा करना व भविष्य में प्रकाशित होने वाली पाठ्यपुस्तकों में इन्हें स्थान देने का निर्णय लिया गया है" की पालना में सभी राजकीय विद्यालयों में निम्नलिखित कार्य तुरन्त प्रभाव से प्रारम्भ किये जावें:–

1. सभी राजकीय विद्यालयों में राज्य स्तर से प्राप्त होने वाले Sheet/Board **"उद्देशिका (Preamble)" एवं "मौलिक कर्त्तव्य (Fundamental Duties)"**उचित स्थान पर प्रदर्शित किया जावें।
2. प्रत्येक शनिवार प्रार्थना सभा में इन दोनों का पाठन विभिन्न कक्षाओं के अलग–अलग विधार्थियों से क्रमवार करवाया जावें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मौका मिलें।
3. सभी विद्यालयों में सम्बद्ध अध्यापक यह सुनिश्चित करे कि इसका अर्थ बच्चों को आसान तथा स्थानीय भाषा में समझाये और उन्हें इन दोनों की पालना करते हुए अच्छे नागरिक बनने की प्रेरणा दें।
4. 15 अगस्त, 2023 को मुख्य समारोह के साथ–साथ इसको विद्यालयों के समस्त विधार्थियों द्वारा सामुहिक रूप से इन दोनों महत्वपूर्ण बातों को बोलने का कार्य सम्पादित किया जायेगा। इसकी तैयारी अच्छे से प्रारम्भ करें।

Rajasthan Education Department

(नवीन जैन)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सचिव, मा.स्कूल शिक्षा मंत्री / मा. स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव महोदया, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन एवं मंत्रीमण्डल सचिवालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान को भेजकर लेख है कि इस आज्ञा को सभी विद्यालयों तक पहुॅचाकर, इसकी पावती प्राप्त करना सुनिश्चित करें।
5. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य / मा–स / 22200 / वो.–2 / 2023 दिनांक 14.07.2023

समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा।

विषय :– मंत्रिमण्डल की आज्ञा संख्या 100 / 2023 की पालना सभी राजकीय विद्यालयों में करवाने बाबत्।

प्रसंग :– शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, जयपुर का पत्र क्रमांक : प.34(2)शिक्षा–1 / 2023 / जयपुर, दिनांक : 13.07.2023

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि दिनांक : 30.06.2023 को आयोजित मंत्रिपरिषद् / मंत्रिमण्डल की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अनुमति से लिए गए निर्णय के अन्तर्गत आज्ञा संख्या 100 / 2023 की पालना सभी राजकीय विद्यालयों में करवाने के संबंध में "भारत के संविधान के महत्व को बच्चों और युवाओं तक प्रचारित करने हेतु राजस्थान के सभी राजकीय विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में भारत के संविधान में अंकित "उद्देशिका (Preamble) एवं मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties)" को परिसर में लिखवाये जाने तथा प्रत्येक शनिवार इस पर चर्चा करने एवं भविष्य में प्रकाशित होने वाली पाठ्यपुस्तकों में इन्हें स्थान देने के संबंध में निर्णय" बाबत् अग्रांकित 04 बिन्दुओं की पालना तुरन्त प्रभाव से करने हेतु निर्देशित किया गया है :–

1. सभी राजकीय विद्यालयों में राज्य स्तर से प्राप्त होने वाले Sheet/Board "उद्देशिका (Preamble) एवं मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties)" उचित स्थान पर प्रदर्शित किया जावे।
2. प्रत्येक शनिवार प्रार्थना सभा में इन दोनों का पाठन विभिन्न कक्षाओं के अलग–अलग विद्यार्थियों से क्रमवार करवाया जावें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मौका मिले।
3. सभी विद्यालयों में सम्बद्ध अध्यापक यह सुनिश्चित करें कि इसका अर्थ बच्चों को आसान तथा स्थानीय भाषा में समझायें और उन्हें इन दोनों की पालना करते हुए अच्छे नागरिक बनने की प्रेरणा देवें।
4. 15 अगस्त, 2023 को मुख्य समारोह के साथ–साथ इसको विद्यालयों के समस्त विद्यार्थियों द्वारा सामूहिक रूप से इन दोनों महत्वपूर्ण बातों को बोलने का कार्य सम्पादित किया जायेगा। इसकी तैयारी अच्छे से प्रारम्भ करें।

उपर्युक्त निर्देशों की अक्षरशः पालना करवाया जानाा सुनिश्चित करें।

(काना राम)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

Signature valid
Digitally signed by Kana Ram
Designation: Director
Date: 2023.07.14 17:09:13 IST
Reason: Approved

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

RajKaj Ref No. : 4281828

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. विशिष्ठ सचिव, माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ठ सचिव, माननीया स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री महोदया, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल स्कूल, जयपुर।
4. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को उक्त कार्य के प्रभावी प्रबोधन बाबत्।
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)—माध्यमिक को पालनार्थ।
6. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाते बाबत।
7. समस्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा।
8. रक्षित पत्रावली।

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

Signature valid
Digitally signed by Kana Ram
Designation : Director
Date: 2023.07.14 17:09:13 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4281828